

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक- 19.11.2020

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल - 48 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा- 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया ।

वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थानों द्वारा 03 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. राजू सोनकर पुत्र रामदास सोनकर नि० डुमरियाडीह खटिकनपुरवा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 15 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 360 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

02. थाना को०देहात द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. राघवराम सोनकर पुत्र मोहन सोनकर नि० ग्राम खम्हरिया हरिवंश थाना को०देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 468 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

03. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. जंगप्रसाद उर्फ फागू पुत्र शिवराज नि० नकहापुल तुरकौली थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 472 / 20, 02. श्याम सुन्दर निषाद पुत्र पुन्नू लाल नि० दुल्लापुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 473 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

04. थाना उमरीबेगमगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. प्रदीप कुमार तिवारी उर्फ दद्वन पुत्र भगीरथ नि० पूरे डाल थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 253 / 20, 02. शीतला प्रसाद उर्फ शितलू पुत्र प्रभु नि० डडहन पुरवा मौजा उमरीबेगमगंज थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब

बरामद कर मु0अ0सं0- 254 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

05. थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. सुरेश पुत्र देवतादीन नि0 बोड़निया थाना को0 देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 407 / 20, 02. लाल बाबू पुत्र रामसहाय चौहान नि0 मिश्रौलिया कानूनगो थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 408 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

06. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. प्यारी पत्नी मंसाराम नि0 दनौव्वा मौजा विखा बभनी थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 05 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 290 / 20, 02. प्रेम बाबू पुत्र भगई नि0 दनौव्वा मौजा विखा बभनी थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 291 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

07. थाना को0नगर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. शिव प्रसाद पुत्र रामबरन नि0 परसिया अज्ञाराम थाना को0देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 890 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

08. थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. संगमलाल चौहान पुत्र शिवलाल चौहान नि0 बालपुर पिपरा भोधर थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 260 / 20, 02. कल्लू पुत्र माधवराम खटिक नि0 ककरहवा थाना को0देहात जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0- 262 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

आर्म्स एक्ट में की गयी कार्यवाही-

थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही –

गोण्डा । गुरुवार जनपद गोण्डा के थाना धानेपुर पुलिस ने गश्त के दौरान 01 अदद नाजायज चाकू के साथ अभियुक्त – लल्ला पासवान पुत्र मोतीलाल नि0 गरौली पुरवा मौजा बनगाई थाना धानेपुर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर मु0अ0सं0- 350 / 20, धारा 4 / 25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

थाना तरबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

गोण्डा । गुरुवार जनपद गोण्डा के थाना तरबगंज पुलिस ने गश्त के दौरान 01- 01 अदद नाजायज चाकू के साथ 02 अभियुक्तों – 01. अंकित सिंह पुत्र स्व0 जनक राज नि0 मजगवा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा, 02.

विजय कुमार पाण्डेय पुत्र द्वारिका प्रसाद पाण्डेय नि० धनई पट्टी थाना को० देहात जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर मु०अ०सं०- 384 / 20, 385 / 20, धारा 4 / 25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने का वांछित आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा । गुरुवार जनपद गोण्डा के थाना तरबगंज पुलिस ने लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के वांछित आरोपी अभियुक्त- सोनू कुमार गौतम पुत्र ओम प्रकाश गौतम नि० चनेउ थाना सराय ममरेज जनपद प्रयागराज को थाना तरबगंज में पंजीकृत मु०अ०सं०- 359 / 20, धारा 363 भादवि० के तहत गिरफ्तार कर लिया गया ।

उक्त अभियुक्त दिनांक 31.10.2020 को थाना तरबगंज क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया था । जिसके संबंध में लड़की के पिता द्वारा थाना तरबगंज में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था । जिसमें तरबगंज पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना पर उक्त वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया ।

लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का आरोपी अभियुक्त, नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार-

गोण्डा । गुरुवार जनपद गोण्डा के थाना तरबगंज पुलिस ने लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी अभियुक्त अंकित सिंह पुत्र जनकराज सिंह नि० मझगवां थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा को थाना तरबगंज पर पंजीकृत मु०अ०सं०- 383 / 20, धारा 354.452.504.506 भादवि० के तहत गिरफ्तार कर लिया गया ।

उक्त अभियुक्त ने थाना तरबगंज क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ किया था, जिसके सम्बन्ध में पीड़िता के पिता द्वारा थाना तरबगंज में उक्त आरोपी अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था । जिसमें तरबगंज पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को 01 अदद नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया ।

मारपीट करने के 02 वांछित आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा । गुरुवार जनपद गोण्डा के थाना खरगूपुर पुलिस ने मारपीट करने के 02 वांछित आरोपी अभियुक्तों- 01. मौलाना नूरानी, 02. अच्छू पुत्रगण स्व० मौलाना नि० गण अलीनगर लोनावा दरगाह थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को थाना खरगूपुर पर पंजीकृत मु०अ०सं०- 252 / 20, धारा 323.324.325.308.504 भादवि० के तहत गिरफ्तार कर लिया गया ।

उक्त अभियुक्तों ने आपसी विवाद के चलते वादी बाबू रजा पुत्र जाफर नि० अलीनगर लोनावा दरगाह थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा व वादी के भाई सैय्यद रजा को गाली- गुप्ता देते हुए मारा- पीटा था, जिससे वादी का भाई मौके पर बेहोश हो गया था । जिसके संबंध में वादी द्वारा थाना खरगूपुर में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था । जिसमें खरगूपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए उक्त वांछित आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया ।

जालसाजी करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा । गुरुवार जनपद गोण्डा के थाना को0देहात पुलिस ने जालसाजी करने के आरोपी अभियुक्त-कुंजबिहारी कश्यप पुत्र जवाहिर नि0 लालापुरवा पड़रिया थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा को थाना को0देहात पर पंजीकृत मु0अ0सं0 – 463 / 20, धारा 419.420.467.468.471 भादवि0 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया ।

उक्त अभियुक्त ने वादिनी श्रीमती शान्ती देवी पत्नी कमलेश कुमार नि0 बेसिया चैन थाना को0देहात जनपद गोण्डा की जमीन का फर्जी व कूटरचित ढंग से बैनामा करा लिया था । जिसके संबंध में वादिनी द्वारा थाना को0देहात में अभियोग पंजीकृत कराया गया था । जिसमें को0देहात पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना पर उक्त आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया ।

अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. रंजीत सिंह पुत्र स्व0 गोपाल सिंह नि0 रामापुर थाना कौड़िया जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 215 / 20, धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट थाना कौड़िया जनपद गोण्डा ।

बरामदगी-

01. 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर ।

संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 19.11.2020 को थाना कौड़िया पुलिस क्षेत्र भ्रमण में रवाना थी कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को बगहरिया पूरे मितई के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया अभियुक्त को गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कौड़िया में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया ।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. हे0का0 रामसबल चौरसिया ।

02. का0 अखिलेश यादव ।

अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. राहुल सोनकर पुत्र राजकिशोर नि0 वीरपुर झलहिया थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 263 / 20, धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा ।

बरामदगी-

01. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर ।

संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 19.11.2020 को थाना खरगूपुर के उ0नि0 धर्मराज मय पुलिस टीम के क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया अभियुक्त को गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना खरगूपुर में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया ।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 धर्मराज ।

02. का0 मनोज कुमार यादव ।

03. का0 सोमपाल मौर्य ।